प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 04.11.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महुली ***श्री हरेन्द्र पाठक*** की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 451/2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संजू निषाद पुत्र राधेश्याम निवासी भेलवासी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 04.11.2026 को वहदग्राम भेलवासी से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
संजीव कुमार उर्फ संजू निषाद पुत्र राधेश्याम निवासी भेलवासी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास
01. मु0अ0सं0 204/2026 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 420/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 283/2026 धारा 305ए, 331(4), 317(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 418/2026 धारा 309(6), 317(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक श्री परवेज अहमद, का0 अरविन्द यादव, का0 रितेश यादव, का0 रितेश तिवारी।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** की गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1000/2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र शर्मानन्द उर्फ शर्मा सिंह निवासी थवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 04.11.2026 को पायलपार गेट भुवरिया रोड के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
मनीष सिंह पुत्र शर्मानन्द उर्फ शर्मा सिंह निवासी थवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
आपराधिक इतिहास
01. मु0अ0सं0 1209/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 61/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 109/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 196/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
05. मु0अ0सं0 335/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
06. मु0अ0सं0 343/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
07. मु0अ0सं0 346/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 सुरेश प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 248 वाहनों से 358,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 04.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 248 वाहनों से 358,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत थाना बखिरा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड की पीड़ित के खाते में वापस कराई गई ₹40,999.98 की संपूर्ण धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं साइबर ठगी के पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु चलाए जा रहे ***क्रैक साइबर क्राइम अभियान*** के क्रम में थानाध्यक्ष बखिरा *श्री दिलीप कुमार सिंह* की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा सराहनीय कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाली गई ₹40,999.98 की संपूर्ण धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पीड़ित परमेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल निवासी कुड़ीमाफी पोस्ट सुम्हा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर का मोबाइल फोन हैक कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके बैंक खाते से ₹40,999.98 की धनराशि अन्य खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा दिनांक 07.10.2026 को NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना बखिरा की साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी सुमन कुमारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया गया तथा साइबर फ्रॉड की संपूर्ण धनराशि ₹40,999.98 पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।

पुलिस की कार्रवाई से राहत मिलने पर पीड़ित द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं थाना बखिरा की साइबर हेल्प डेस्क टीम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

साइबर हेल्प डेस्क टीम, थाना बखिरा- थानाध्यक्ष बखिरा श्री दिलीप कुमार सिंह, प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री राजेश कुमार, का0 चन्द्रभान सिंह, का0 ओमनाथ दुबे, म0का0 सुमन कुमारी, म0का0 अंकिता मिश्रा।

जनहित में संतकबीरनगर पुलिस की अपील-

संतकबीरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ऑफर अथवा परिचित बनकर धनराशि की मांग करने वाले व्यक्ति के झांसे में न आएं। किसी के साथ OTP, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी एवं पासवर्ड साझा न करें तथा बिना सत्यापन के कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें।

यदि आप किसी भी प्रकार की साइबर ठगी के शिकार होते हैं, तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर **1930** पर कॉल करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं। समय से शिकायत दर्ज कराने पर ठगी की धनराशि को सुरक्षित रखने एवं वापस कराने की संभावना बढ़ जाती है।

संतकबीरनगर पुलिस – आपकी सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग में सदैव तत्पर।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में अभियुक्त 06 माह का साधारण कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 04.11.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 06 माह का दण्ड व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्री रिजवान दानिश पुत्र मो0 मोहसिन निवासी सानी केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्तगण नाम पता 01.मो0 इब्राहिम उर्फ बीपत पुत्र मो0 हनीफ 02. अख्तरुन्निशा पत्नी मो0 इब्राहिम उर्फ बीपत निवासी कस्बा व थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी के पुत्र लाठी डण्डे मारने-पीटने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री राकेश कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 96/2020 धारा 323,504, 304/34 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 इब्राहिम उर्फ बीवत उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास दण्ड व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।